

8/8/25

बादी के अधिकतम उपायित ।

प्रतिवर्ती संख्या 3 के अधिकतम उपायित ।

प्रतिवर्ती संख्या 1, 2 व 4 के विषय उपायित

बाध्यता है ।

वस्तु प्रथम-पत्र प्रती उष्ण ।

फातली वास्तु आदि प्रथम-पत्र दिनांक 21/8/25
के प्रेश है ।

Sub

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सादुलशहर, श्रीगंगानगर ।